अदा+लत=नामा

न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहुत सारे जागरुक नागरिकों एवं अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों, जजों/ कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति तथा विधि विरूद्ध कार्यों से सम्बंधित सामग्री भेजी है।

जिसका प्रकाशन हम आगामी अंको में इनका वेरिफिकेशन करने के बाद करेंगे। आपसे अनुरोध है कि जो भी शिकायत/ सामग्री आप भेज रहे हैं उसका प्रमाण अवश्य भेजें। प्रकाशन सिर्फ सप्रमाण भेजी गयी सामग्रियों का ही होगा।

हमारा उद्देश्य न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करना है न कि किसी को बदनाम करना।

सप्रमाण सामग्री डाक/ईमेल से निम्न पते पर भेजें।

संपादक-

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट,

'जजमेण्ट आजतक'

हिमांशु सदन, ५ पार्क रोड,

लखनऊ, मो.: ९८३९०१०६७७

e-mail :

judgementaajtak@yahoo.co.in

जजमेंट आजतक का

Digital Edition

इन्टरनेट पर उपलब्ध है

इसे पढ़ने के लिए इसकी साइट

www.judgementaajtak.com

पर जाकर पढ़ सकते हैं।

एवं

अपने सुझाव, समस्या तथा प्रतिक्रिया सीधे हमें भेज सकते हैं।

कर्मण्येवाधिकारस्ते...

गीता का उपदेश है कर्म करो। यह न्यायालय में वादों की लिस्टिंग पर पूरी तरह फिट बैठ रहा है।

आजकल एक-एक कोर्ट में दो-दो सौ केस की लिस्टिंग देख कुछ लोग बात कर रहे थे कि अब केस लिस्ट में छपते खूब हैं। इस पर दूसरे शख्स ने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक जानकार ने बताया कि भई लिस्टिंग का पैसा लिया है तो केस लिस्ट कर दिया अब टेक अप हो या न हो यह क्लांइट का भाग्य। लेकिन कुछ कोर्ट ऐसी है जहां लिस्ट पूरी रिवाइज भी होती है।

इतने अधिक केसेज की काजलिस्ट में लिस्टिंग मुअक्किल के साथ धोखा है जब कि लिस्टिंग के लिए एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है पहले सेक्शन में जुगाड़ कीजिए उसके बाद कम्प्यूटर में क्यों कि अगर दोनो जगहों पर सेटिंग नहीं है तो सेक्शन से जाने के बाद कम्प्यूटर में कट जायेगा। यदि आपने यथोचित सुविधा शुल्क दिया तो मन चाहे नम्बर पर आपका केस लिस्ट होगा नहीं तो या तो लिस्ट नहीं होगा यदि होगा भी तो इतने नीचे कि उसका नम्बर ही नहीं आयेगा।

ऊपर जो लिखा गया है उसका मतलब है हमने तो कर्म कर दिया, हो या न हो यानि कि हमने केस लिस्ट करके अपना हक अदा कर दिया अब केस हो न हो हमारी जिम्मेदारी नहीं।

क्या इन सब स्थितियों से न्यायालय प्रशासन अवगत नहीं है? यदि है तो इसको दुरूस्त करने का प्रयास अब तक क्यों नहीं किया? स्थिति यहां तक खराब हो गयी है कि कोर्ट के एनसीएल आर्डर करने के तीन-तीन महीने बाद भी केस लिस्ट नहीं होते।

ऐसी स्थिति में सत्यार्थ भी इस विसंगति के बारे में यह कह सकता है-

''कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदा चनः'' अब इसको दुरूस्त तो न्यायालय प्रशासन को ही करना है। ❑

चित भी मेरी पट भी मेरी

आजकल इस जुमले की गुनगुनाहट कोरिडोर में जोरों पर है कि 'चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का' जितनी मुंह उतनी बातें। सीनियर रूम में बैठे एक वकील साहब (जो अपना अधिकांश समय सीनियर रूम का सोफा तोड़ते नजर आते हैं) अपनी लन्तरानी छेड़े हुए थे सर महमूद से लेकर अब तक के किस्से बयां कर रहे थे तब तक एक मुंहफट वकील ने आकर कहा कि ये सब छोड़िए बताइये कोई केस से अलग क्यों होता है? अब सीनियर को प्रवचन का मौका मिल गया उनकी मनपसंद बात जो किसी ने पूछ ली।

अपने को और अधिक डूरियन के सोफे में धसांते हुए उन्होंने शुरू किया देख भइया यहां लोग चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा (नहीं समझे जब सिक्का खड़ा हो जाय न चित गिरे न पट) मेरे बाप का की तर्ज पर काम करते हैं। केस लगाने से ज्यादा न लगाने, केस लड़ने से ज्यादा न लड़ने का, लिखवाने से ज्यादा न लिखाने का 'कंसीडरेशन' होता है। वैसे मैं बताऊं तुम्हें अभी तुम जूनियर हो धीरे-धीरे सीख जाओगे।

अब बारी जूनियर की थी। उसने कहा बाबू जी आप कोर्ट में कम यहाँ ज्यादा दिखते हैं इस पर बगल में बैठे दूसरे सीनियर सही बात मजाक में कहते हुए बोले बेटा! अगर कोर्ट में दिखते तो ये कोर्टोत्तर बहस कौन करता वैसे ये उसी श्रेणी में है जो एक तरफ फीस लेता है बहस करने की और दूसरी तरफ से कोर्ट में न जाने की।

अब सीनियर ने कहा अरे इनकी बातों पर ध्यान मत देना हमारी इनकी चलती रहती है। जूनियर 'दोस्त दोस्त ही रहा, यार प्यार भी रहा, न्याय अब तेरा इन्तेजार ही रहा' गुनगुनाता हुआ चला गया। ❑

रिस्कले बोर्ड

आज कोरिडोर में एक अधिवक्ता बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे, तो उनसे हमने पूछा भाई साहब क्या हो गया आप इतना अपसेट क्यों हैं?

उन्होंने झल्लाते हुए कहा ये डिस्प्ले बोर्ड क्यों लगें हैं? मैनें कहा आपके, मुअक्किलों और मुंशियों की सुविधा के लिए कि आप कहीं भी हों किसी कोर्ट में, कोर्ट के बाहर या गैलरी में तो यह जानकारी हो जाय कि किस कोर्ट में क्या काम चल रहा है। फ्रेश, सप्लीमेण्ट्री या लिस्ट तथा उसका नम्बर तो वहां पहुंचकर अपना केस कन्डक्ट कर लें। अब उनकी झुंझलाहट थोड़ी और बढ़ गयी बोले यही तो नहीं होता। बोर्ड में कुछ और आ रहा है चल कुछ और रहा है।

इस डिस्प्ले बोर्ड के चक्कर में मेरा मुकदमा डिसमिश इन डिफाल्ट हो गया। इतने में एक अधिवक्ता आ गये जिन्होंने अंदर की बात बतायी। बोले अरे ये हमारी आपकी सुविधा के लिए थोड़े ही लगे हैं ये तो कमीशन के लिए लग गये थे। तभी तो पचास प्रतिशत कोर्ट में इनकी सही जानकारी नहीं फीड की जाती है। देखिये पहले इसके लिए ही पैर तोड़ू चिकनी टाइल्स लगायी गयीं। उसके कारण भी एक साहब का केस, डी.डी. हो गया था और उन्होंने कोर्ट को यही कारण बताकर डिसमिशल का आर्डर रिकाल करवा लिया था। आप भी वैसे कर लीजिए। इस पर उन्होंने और झल्लाते हुए कहा हमने यह कारण बताकर जब रिकाल करने के लिए कहा तो जवाब मिला कि कहाँ क्या चल रहा है यह जानकारी रखना आपका काम है।

अब भई मैं तो इनको डिस्प्ले नहीं बल्कि रिस्कले बोर्ड कहता हूँ क्योंकि इनकी इनफारमेशन पर रिलाई करने का मतलब है रिस्क लेना। केवल पचास प्रतिशत कोर्ट है जो इसमें सही फीड करते हैं। वैसे अब कुछ सुधार हुआ है पहले तो बीस प्रतिशत ही था। ❑